टिप्पणी

4

व्यावसायिक संगठनों के प्रकार

आपने व्यवसाय, इसके महत्व और इसकी गतिविधियों के वर्गीकरण के विषय में पहले पाठ में अध्ययन किया। आप यह भी जानते हैं कि ये गतिविधियां व्यावसायिक उद्यम के संगठन के रूप में व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं जिनके पास स्वामित्व और प्रबंधन के विभिन्न स्तर होते हैं। स्वयं एक व्यक्ति भी व्यवसाय चला सकता है और संयुक्त रूप से भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। इसलिए स्वामित्व के आधार पर हमारे पास व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न रूप हैं जैसे कि एकल स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी फर्म अथवा संयुक्त पूंजी कम्पनी। इस पाठ में आप व्यापार संगठन के विभिन्न रूपों (एक संयुक्त कंपनी को छोड़कर) उनकी विशेषताओं, गुणों, सीमाओं, उपयुक्तता और उनके गठन में शामिल चरणों के विषय में जानेंगे।

अधिगम के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी:

- एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, कंपनियां सहकारी समितियां, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि विभिन्न व्यवसायों की मूल विशेषताएं बताता है;
- व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न रूपोंके बीच अंतर करता है।

4.1 व्यावसायिक संगठन का अर्थ

आप पहले से ही व्यवसाय के अर्थ और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों जैसे- उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि के बारे में जान चुके हैं।यदि आप इन व्यावसायिक गतिविधियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जो भी सफलतापूर्वक व्यावसायिक गतिविधि करना चाहता है उसे व्यक्ति, धन, सामग्री, मशीन, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इन संसाधनों

को व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से कार्यवाही में लगाने की भी आवश्यकता है।

आइये हम एक चावल की मिल का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मालिक को एक भूमि लेनी होगी जिस पर इमारत का निर्माण करना होगा, कार्य के लिए श्रम या मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी, फिर धान खरीदना, फिर उससे चावल निकालने की प्रक्रिया करना, उसके बाद वह ग्राहकों को बेचा जाएगा। इस प्रकार, धान से चावल का उत्पादन करने के लिए आपको भूमि, भवन, मशीनरी, श्रम इत्यादि जैसे संसाधनों को एकत्रित करने की आवश्यकता होती है और इन संसाधनों को व्यवस्थित रूप से एक साथ रखा जाता है। तब जाकर चावल का उत्पादन करना, इसे ग्राहकों को बेचना और लाभ कमाना संभव हो पाता है।

इस प्रकार किसी भी व्यवसाय को अंजाम देने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों को एक साथ लाने और उन्हें व्यवस्थित तरीके से कार्यवाही में शामिल करना आवश्यक है। इन सभी क्रियाओं में समन्वय व इन पर नियंत्रण भी जरूरी है। इस सारी व्यवस्था को व्यावसायिक संगठन के नाम से जाना जाता है।

4.2 व्यावसायिक संगठनों के प्रकार

क्या आपने कभी सोचा है कि कौन आवश्यक पूंजी लगाता है, अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेता है, उन्हें कार्यवाही में डालता है और वांछित लाभ कमाने के लिए गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करता है। यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक छोटी-सी किराने की दुकान एक एकल व्यक्ति के स्वामित्व में है और इन सभी गतिविधियां उसी से हो रही होती हैं। लेकिन एक बड़े व्यवसाय में एक अकेले व्यक्ति के लिए इन सभी गतिविधियों को कर पाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसे मामले में दो या दो से अधिक व्यक्ति पूंजी मिलाकर संगठन खड़ा करते हैं और उसे ठीक से प्रबंधित करते हैं और अपने समझौते के अनुसार इसका लाभ में साझा करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक संगठनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन एक व्यक्ति या उसके समूहों द्वारा किया जा सकता है जो कि साझेदारी फर्म या संयुक्त पूंजी कम्पनी बना सकते हैं। स्वामित्व एवं प्रबंधन की ऐसी व्यवसथा को व्यावसायिक संगठन का एक रूप कहा जाता है। भारत में व्यावसायिक संगठन सामान्यत: निम्‍ प्रकार के होते हैं:

1. एकल स्वामित्व
2. साझेदारी
3. संयुक्त हिन्दू परिवार
4. सहकारी समिति
5. संयुक्त पूंजी कंपनी

आइए, अब इन व्यावसायिक संगठनों के प्रकारों के बारे में जानें। संयुक्त पूंजी कम्पनी को अगले पाठ में बताया जाएगा।

4.3 एकल स्वामित्व व्यवसाय

गोपाल स्थानीय बाजार में एक किराने की दुकान चलाता है। वह थोक बाजार से सामान खरीदता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचता है। ऐसा करके वह कुछ लाभ कमा लेना है। उसने अपना व्यवसाय 2 साल पहले एक लाख रुपए से शुरू किया था जो उसने अपने दोस्त से उधार लिया था। आज वह अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रहा है और उचित लाभ भी कमा रहा है और अब उधार लिया हुआ धन वापस करने में भी सक्षम है। उसने दो लोगों को मदद के लिए नौकरी पर भी रखा है। गोपाल के अनुसार वह एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का स्वामी है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, आइये हम पहले 'एकमात्र स्वामित्व' की सही प्रकृति को जानें।

एकल शब्द से अभिप्राय एक या अकेला और स्वामित्व से अभिप्राय स्वामी होने से है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय का ऐसा प्रकार जिसका स्वामी एक व्यक्ति है, उसका प्रबंध वह अकेले करता है तथा उससे लाभ प्राप्त करता है और हानि भी स्वयं वहन करता है, उसे एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहा जाता है।

इस तरह आप कह सकते हैं कि गोपाल एक स्वामित्व व्यवसाय चला रहा है जो एकमात्र स्वामी या व्यवसायी के रूप में जाना जाता है।

आपने अपने क्षेत्र या आसपास कई और ऐसे व्यापारिक संगठन देखे होंगे। विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए इस तरह के व्यावसायिक संगठनों की एक सूची बनाएं:

1. सुप्रीम ड्रायक्लीनर्स
2.
3.
4.
5.

एकल स्वामित्व व्यवसाय की परिभाषा : जेएल हेन्सन ने एकल स्वामित्व को परिभाषित करते हुए कहा है ''यह एक प्रकार का व्यवसाय है जहां व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है, उद्यम के जोखिम को उठाता है और व्यवसाय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।''

इस प्रकार एक अकेला व्यक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्व के साथ अपने व्यवसाय का एकमात्र स्वामी बनकर अपने स्वामित्व व्यवसाय के प्रबंधन, संचालन, लाभ एवं जोखिम को

टिप्पणी

उठाता है तो व्यवसाय के ऐसे प्रकार को एकल स्वामित्व व्यवसाय कहते हैं। अब आप एकल स्वामित्व व्यवसाय की कुछ विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं-

4.3.1 व्यावसायिक संगठन के एकमात्र स्वामित्व प्रकार की विशेषताएं

(क) एकल स्वामित्व : व्यवसाय संगठन का एक ही मालिक होता/होती है। तो स्वयं सभी संसाधनों को एक साथ लाकर व्यवसाय शुरू करता है।

(ख) स्वामित्व और प्रबंधन में भिन्नता नहीं : इसके अंतर्गत मालिक स्वयं अपने कौशल और बुद्धिमता के अनुसार व्यवसाय का प्रबंधन करता है। कंपनी संगठन के रूप की तरह स्वामित्व एवं प्रबंधन अलग नहीं होते हैं।

(ग) कानूनी औपचारिकताओं की कमी : एकल स्वामित्व व्यवसाय के गठन और संचालन में कोई कानूनी औपचारिकता शामिल नहीं होती। इसलिए इसका गठन साधारण एवं सरल होता है।

(घ) कोई अलग अस्तित्व नहीं : इस व्यवसाय के प्रकार में स्वामी का व्यवसाय से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यवसायी और उद्यम व्यवसायी दोनों एक समान होते हैं इस इकाई में होने वाली हर प्रक्रिया के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है।

(ङ) लाभ या हानि का कोई विभाजन नहीं : इसमें एकमात्र मालिक ही व्यवसाय के लाभ का आनंद लेता है। साथ ही व्यवसाय का पूरा नुकसान भी वही उठाता है। इसके लाभ एवं हानि किसी के साथ साझा नहीं होते हैं। वह अकेले ही व्यवसाय से होने वाले जोखिम, लाभ एवं हानि के लिए जिम्मेदार होता है।

(च) असीमित दायित्व : एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। नुकसान के मामले में यदि व्यावसायिक संपत्ति, व्यापार देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग व्यवसाय की देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

(छ) एक व्यक्ति का नियंत्रण : इस एकल व्यवसाय में पूरी नियंत्रण क्षमता मालिक के हाथ में होती है। वह अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चलाता है।

गोपाल अपने व्यवसाय को एकल स्वामित्व के रूप में चलाने से खुश है क्योंकि उसे इस व्यवसाय को करने के कई लाभ हैं। साथ ही, वह कई मुश्किलों में आ सकता है। क्या आप व्यावसायिक संगठन के रूप के गुण एवं सीमाओं को जानना चाहेंगे? आइये इसकी चर्चा करें।

4.3.2 एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण

(क) सरल स्थापना एवं समाप्ति : व्यवसाय संगठन का एकल स्वामित्व प्रारूप शुरू करना बहुत आसान एवं सरल है। किसी भी कानूनी औपचारिकता पालन करने की

आवश्यकता इसमें नहीं है। व्यवसाय का मालिक जब चाहे वह अपने व्यवसाय को बंद कर सकता है।

(ख) **शीघ्र निर्णय एवं त्वरित कार्यवाही :** यह पहले ही बता दिया गया है कि एकल व्यवसायी के किसी भी निर्णय में किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए वह व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर त्वरित निर्णय ले सकता है और तदनुसार त्वरित कार्यवाही भी कर सकता है।

(ग) **प्रत्यक्ष प्रेरणा :** व्यवसाय संगठन के एकल स्वामित्व प्रकार में व्यवसाय का पूर्ण लाभ मालिक को जाता है। यह व्यवसाय के मालिक को कड़ी मेहनत करने और व्यवसाय को कुशलता से चलाने के लिए प्रेरित करता है।

(घ) **संचालन में लचीलापन :** व्यवसाय की आवश्यकतानुसार परिवर्तन को प्रभावित करना बहुत आसान है। व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या कमी को व्यावसायिक संगठन के अन्य रूपों के मामले में कई औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है।

(ङ) **व्यावसायिक रहस्यों की गोपनीयता :** अपने व्यवसाय की गुप्त बातें केवल उसके स्वामी को ही पता होती है। किसी भी जानकारी का खुलासा उसके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करता है। वह अपने व्यावसायिक खाते के लिए बाध्य नहीं है।

(च) **व्यक्तिगत सम्पर्क :** चूंकि एकल व्यवसाय का मालिक स्वयं ही व्यवसाय से जुड़े हर मामले को देखता है इसलिए ग्राहकों एवं कर्मचारियों के साथ एक अच्छा व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना आसान होता है। ग्राहकों की पसंद, नापसंद उसकी रुचि को जानकर वह अपने उत्पाद को समायोजित कर सकता है। उसमें कर्मचारी कम होने के कारण वे मालिक के अधीन ही कार्य करते हैं। यह उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

हालांकि एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का एक लोकप्रिय रूप है, यह विभिन्न सीमाओं से ग्रस्त भी हैं, आइये इसकी चर्चा करते हैं।

4.3.3 एकल स्वामित्व व्यवसाय की सीमाएं

(क) **सीमित संसाधन :** एकल स्वामित्व व्यवसाय के संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। एकल स्वामी होने के नाते अपने स्वयं के स्रोतों से पर्याप्त धन की व्यवस्था करना हमेशा संभव नहीं होता। फिर दोस्तों, रिश्तेदारों या बैंकों से धन उधार लेने में उसकी अपनी परेशानियां होती हैं। इसलिए मालिक के पास धन जुटाने के लिए सीमित क्षमता होती है।

(ख) **निरंतरता की कमी :** व्यवसाय की निरंतरता मालिक के जीवन से जुड़ी होती है। कभी भी किसी बीमारी, मृत्यु या व्यवसाय में घाटा होने पर व्यवसाय बंद हो सकता है। इसलिए इसकी निरंतरता में कमी होती है।

(ग) असीमित दायित्व : आप ये पहले ही जान चुके हैं कि एकल व्यवसायी और व्यवसाय का अस्तित्व अलग नहीं होता है। कानून की दृष्टि से मालिक एवं व्यवसाय एक समान होते हैं। इसलिए व्यावसायिक देनदारियों के भुगतान के लिए स्वामी की निजी संपत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) सीमित प्रबंधकीय विशेषता : व्यावसायिक संगठन का एकल स्वामित्व व्यवसाय प्रबंधकीय विशेषज्ञता की कमी से सदा ग्रस्त रहता है। एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं हो सकता जैसे क्रय-विक्रय, वित्त पोषण आदि। सीमित वित्तिय संसाधनों और व्यवसाय के आभार के कारण इस प्रकार के संगठनों के लिए कुशल प्रबंधकों की सेवाएं लेना भी संभव नहीं हो पाता है।

(ङ) बड़े पैमाने पर इसका संचालन उपयुक्त नहीं है : चूंकि संसाधन और प्रबंधकीय क्षमता सीमित है, इसलिए व्यावसायिक संगठन का रूप एकल स्वामित्व बड़े पैमाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

4.3.4 एकल स्वामित्व व्यवसाय की उपयुक्तता

आपने, एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताओं, गुण और सीमाओं के बारे में जाना। इसके विस्तृत अध्ययन के बाद अब आपके लिए, उन क्षेत्रों की पहचान करना आसान होगा जहां एकल स्वामित्व का व्यवसाय उपयुक्त है। नीचे दिए गए अभ्यास से आपको एकल स्वामित्व व्यवसाय की उपयुक्तता को समझने में मदद मिलेगी।

1. बाजार सीमित है, स्थानीय ग्राहक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने को अधिक महत्व देते हैं।
2. पूंजी की आवश्यकता कम होती है और इसीलिए इसमें जोखिम की संभावना भी कम रहती है।
3. वस्तुओं के उत्पादन में व्यक्तिगत कौशल शामिल होता है, जैसे हस्तकला, ज़री का काम, आभूषण बनाना, कपड़े सिलना, बाल काटना आदि।

पाठगत प्रश्न-4.1

1. अपने शब्दों में एकल स्वामित्व व्यवसाय को परिभाषित करें।
2. नीचे एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण और सीमाएं दी गई हैं। इसके गुणों के लिए 'ग' लिखें और सीमाओं के लिए 'स' लिखें। प्रत्येक के समक्ष स्थान निर्धारित है-

   (क) एकल स्वामित्व व्यवसाय की शुरू करना आसान है।

   (ख) एकल स्वामित्व में सभी दायित्वों के लिए उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है।

(ग) एकल स्वामित्व व्यवसाय के मालिक के पास धन जुटाने की सीमित क्षमता होती है।

(घ) एकल स्वामित्व व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय की गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है।

(ङ) एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वामी ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को बेहतर बना सकता है।

3. एकल व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित के जोड़े बनाइये

स्तंभ (क)	**स्तंभ (ख)**
(क) दायित्व	(1.) सरल
(ख) गठन	(2.) न्यूनतम
(ग) संसाधन	(3.) तत्काल
(घ) निर्णय लेना	(4.) असीमित
(ङ) कानूनी औपचारिकताएं	(5.) सीमित

4.8 साझेदारी

आस-पास के क्षेत्र में एक कपड़ा मिल शुरू होने जा रही है जहां गोपाल अपना व्यवसाय कर रहा है। एक व्यवसायी होने के कारण वह अत्यंत अल्लासित है। वह सोच रहा है कि एक बार कपड़ा मिल स्थापित होने के बाद उसे अधिक ग्राहक मिलेंगे उसकी बिक्री में वृद्धि होगी और वह अधिक लाभ कमाएगा। लेकिन इस सबके लिए उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाना होगा जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। मुख्य समस्या यह है कि उस अतिरिक्त धन की व्यवस्था कैसे की जाए? उसके पास एक विकल्प है वो है बैंक से उधार लेना लेकिन नुकसान का डर बार-बार उसके दिमाग में आता है। वह उस जोखिम को नहीं उठाना चाहता है। एक अन्य विकल्प यह है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकता है जो उसके व्यवसाय से जुड़ने के लिए उत्सुक हो। ऐसा करके अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं, काम को साझा किया जा सकता है और व्यापार को भी बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। नुकसान का जोखिम भी साझा हो जाएगा। लेकिन इसमें व्यापारिक संगठन का एक नया रूप शामिल है जिसे साझेदारी संगठन के रूप में जाना जाता है। साझेदारी व्यवसाय करने के लिए गोपाल को अपने व्यवसाय और संगठन के इस स्वरूप की सटीक प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझना होगा, इससे पहले कि वह इसमें जाए। 'साझेदारी' दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो न केवल अपने वित्तिय और प्रबंधकीय संसाधनों को एकत्रित करते हैं, बल्कि एक व्यवसाय को चलाने और इसके लाभ या हानि को साझा करने के लिए भी सहमत होते हैं।

चलिये, ये मान लेते हैं कि गोपाल एक बड़ी किराना दुकान शुरू करने के लिए रहीम से हाथ मिलाता है। यहां गोपाल और रहीम दोनों को साझेदार कहा जाता है जो संयुक्त रूप से व्यवसाय चला रहे हैं। वे दोनों अपने संसाधनों को एकत्र कर अपनी विशेषज्ञता के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। वे एक सहमत अनुपात में लाभ एवं हानि को साझा करेंगे। वास्तव में उन्हें काम करने के सभी नियमों और भर्ती के लिए उन्हें सभी पहलुओं के बारे में निर्णय लेने के लिए एक साथ बैठना होगा। उनके बीच एक समझौता होना चाहिए। यह समझौता मौखिक, लिखित, या गर्भित स्थिति में हो सकता है। जब समझौता लिखित में होता है तब इसे साझेदारी विलेख कहा जाता है। हालांकि, समझौते के अभाव में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। भारत में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित किया जाता है, और अधिनियम की धारा 4 साझेदारी को ''उन व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध के रूप में परिभाषित करती है जो व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है।'' व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो साझेदारी में शामिल होता है, उसे साझेदार कहा जाता है और सामूहिक रूप से फर्म के रूप में जाना जाता है।

4.4.1 व्यापार संगठन की साझेदारी के रूप की विशेषताएं

उपर्युक्त परिभाषा के आधार साझेदारी की निम्न विशेषताएं हैं।

(क) दो या दो से अधिक व्यक्ति : साझेदारी फर्म बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 10 के अनुसार साझेदार व्यक्तियों की संख्या सीमा अधिकतम 50 है।

(ख) संविदात्मक सम्बन्ध : साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक समझौते के रूप में बनाई गई है जो हाथ मिलाने के लिए सहमत हैं। ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होने चाहिएं। इस प्रकार नाबालिक, पागल और दिवालिया व्यक्ति साझेदार बनने के योग्य नहीं है। हालांकि एक नाबालिक को साझेदारी फर्म के लाभों के लिए साझेदार बनाया जा सकता है यानी वह नुकसान के लिए किसी भी दायित्व के बिना लाभ में हिस्सेदारी कर सकता है।

(ग) व्यवसाय के लाभों का बंटवारा : साझेदार फर्म के व्यवसाय के लाभ एवं हानि को साझा करने के लिए साझेदारों के बीच एक समझौता होना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति की आय को साझा करते हैं तो इसे साझेदारी के रूप में नहीं माना जाता है।

(घ) वैध व्यवसाय का अस्तित्व : जिस व्यवसाय में व्यक्ति लाभ को साझा करने के लिए सहमत हो गया है, उसे वैध होना चाहिए। तस्करी या काला बाजारी आदि में लिप्त किसी भी समझौते को कानून की नज़र में साझेदारी का व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है।

(ङ) प्रधान एजेंट सम्बन्ध : साझेदारी के बीच आपसी सम्बन्ध होने चाहिए। प्रत्येक साझेदार प्रधान है तथा साथ ही फर्म का एजेंट भी है। जब एक साझेदार ग्राहकों से व्यापारिक लेन-देन करता है तो वह एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और वहीं दूसरे साझेदार प्रधान के रूप में होता हैं।

(च) असीमित दायित्व : फर्म के भागीदारों का दायित्व असीमित होता है। वे संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप दोनों से फर्म के ऋण और दायित्व के लिए उत्तरदायी हैं। यदि फर्म की सम्पत्ति उसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हालांकि, एक नाबालिक साझेदार की देनदारी लाभ में उसके हिस्से की सीमा तक ही सीमित होती है।

(छ) स्वैच्छिक पंजीकरण : साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक गैर पंजीकृत फर्म को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः फर्म का पंजीकरण परोक्ष रूप से आवश्यक हो जाता है। गैर पंजीकृत फर्म को निम्न सीमाओं का सामना करना पड़ता है:

(i) फर्म तीसरे पक्ष पर मुकद्दमा नहीं कर सकती, जबकि तीसरा पक्ष उस पर मुकद्दमा कर सकता है।

(ii) साझेदारों के बीच किसी विवाद के मामले में न्यायालय के माध्यम से विवाद का निपटारा संभव नहीं है।

(iii) फर्म किसी भी अन्य पक्ष से देय या प्राप्त राशि के लिए दावा नहीं कर सकती।

4.4.2 साझेदारी व्यावसायिक संगठन के लाभ

(क) बनाने में आसान : कई कानूनी औपचारिकताओं के बिना साझेदारी आसानी से की जा सकती है। एक फर्म को साधारण समझौते के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है यह या तो मौखिक, लिखित या गर्भित साझेदारी से भी फर्म बन सकती है।

(ख) बड़े संसाधनों की उपलब्धता : चूंकि साझेदारी फर्म शुरू करने के लिए दो या दो से अधिक साझेदारों की जरूरत है। व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व वाले फर्म की तुलना में इसमें अधिक संसाधनों को एकत्र करना संभव हो सकता है।

(ग) बेहतर निर्णय : साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार है। सभी प्रमुख निर्णय सभी साझेदारों की सलाह से लिए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक ज्ञान बढ़ता है और लापरवाही तथा जल्दबाजी में निर्णय लेने की गुंजाइश कम होती है।

(घ) लचीलापन : साझेदारी फर्म एक लचीला संगठन हो सभी साझेदारों की आवश्यक सहमति लेने के बाद किसी भी समय साझेदार अपने संचालन के व्यवसाय क्षेत्र के आकार या प्रकृति को बदलने का निर्णय ले सकते हैं।

(ङ) जोखिम का बंटवारा : फर्म में घाटा होने पर सभी साझेदारों की सहमति के अनुसार उसे साझा किया जाता है।

(च) गहन रुचि : चूंकि साझेदार व्यवसाय के हानि या लाभ को आपस में बांटते हैं अतः ये व्यवसाय के क्रियाकलापों में बड़ी रुचि लेते हैं।

(छ) विशेषज्ञता से लाभ : सभी साझेदार अपनी विशेषज्ञता एवं ज्ञान के अनुसार व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। न्यायिक मामले में सलाह देने वाली साझेदारी फर्म का एक साझेदारी सिविल मुकद्दमों का, दूसरे आपराधिक मामलों का, तीसरा श्रम कानूनों का विशेषज्ञ हो सकता है और वे अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सलाह दे सकते हैं।

(ज) हितों की रक्षा : साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार के अधिकार एवं हित पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यदि कोई साझेदार किसी फैसले से असंतुष्ट है तो वह फर्म को बंद करने के लिए कह सकता है या अपनी साझेदारी वापस ले सकता है।

(झ) गोपनीयता : फर्म की गोपनीय बातें केवल साझेदारों तक ही सीमित रहती हैं। बाहरी लोगों के सामने किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है। फर्म से वार्षिक खातों को भी प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है।

(ञ) कर में लाभ : फर्म में लाभ का अंश साझेदारों के हाथों में कर मुक्त है। यदि कोई पंजीकृत साझेदार का विलेख है, तो फर्म आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर दायित्व को कम करने का लाभ ले सकती है।

साझेदार व्यवसाय की प्रकृति एवं गुणों के बारे में जानने के बाद अब गोपाल ने व्यवसाय को साझेदारी के रूप में शुरू करके अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया। एक दिन बड़े खुशी के मन से वह रहीम (जो उसी इलाके में किराने की दुकान चलाता है) से मिला और उसे व्यापार संगठन की साझेदारी के स्वरूप, विशेषताओं और गुणों के बारे में बताया। रहीम ने गोपाल की बातों को बहुत सावधानी से सुना और इस साझेदारी की सीमाएं (यदि कोई हों तो) के बारे में पूछा। गोपाल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। गोपाल ने यह देखा कि रहीम हिचकिचा रहा है। उसे अब साझेदारी की सीमाओं के विषय में समझ देनी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों को साझेदार बनाया जा सकता है।

4.4.3 साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं

एक साझेदारी फर्म कुछ सीमाओं से युक्त होती है। वे निम्नलिखित हैं:

(क) असीमित दायित्व : साझेदारों का दायित्व असीमित है अर्थात् साझेदार फर्म के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इसके शब्दों में फर्म की देनदारियों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग भी किया जा सकता है, जब फर्म की सम्पत्ति ऋण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होती है।

(ख) अस्थिरता : प्रत्येक साझेदारी फर्म का जीवन अस्थिर होता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, अक्षमता या सेवानिवृत्ति फर्म को समाप्त कर देती है। इतना ही नही एक असंतुष्ट साझेदार भी फर्म को बंद करने के लिए कभी भी नोटिस दे सकता है।

(ग) सीमित पूंजी : चूंकि साझेदारों की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है इसलिए धन जुटाने की क्षमता एक संयुक्त पूंजी कंपनी की तुलना में सीमित होती है जहां अंश धारकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती।

(घ) अहस्तांतरित हिस्सा : किसी भी साझेदार का हिस्सा किसी दूसरे साझेदार या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्वेच्छा से हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसलिए यह उस साथी के लिए असुविधा उत्पन्न करता है जो अपना हिस्सा पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरों को हस्तांतरित करना चाहता है। इसका एकमात्र विकल्प फर्म का विघटन है।

(ङ) संघर्ष की सम्भावना : साझेदारी के व्यवसाय में प्रत्येक साथी को प्रबंधन में भाग लेने का समान अधिकार है। साथ ही, हर साथी किसी भी समय किसी भी मामले को लेकर प्रबंधन के समक्ष अपनी राय रख सकता है। इस वजह से कभी-कभी साझेदारों में असमंजस एवं संघर्ष उत्पन्न होता है। विचारों का अंतर संघर्षों को जन्म दे सकता है और फर्म का विघटन हो सकता है।

4.4.4 साझेदारों तथा साझेदारी के भेद

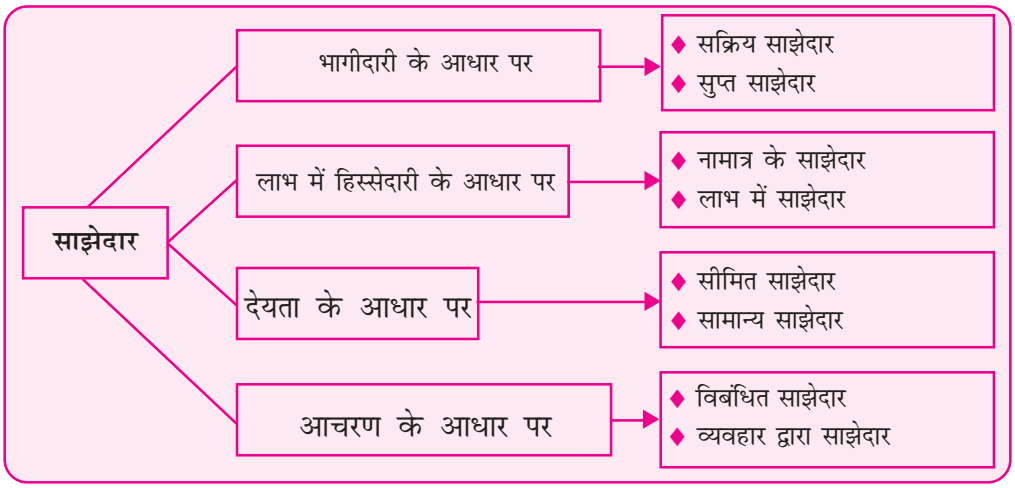

चित्र 4.1 साझेदारी के भेद

साझेदारों के भेद : आपने सीखा कि आम तौर पर एक फर्म में हर साथी अपना पूंजीगत

योगदान देता है, फर्म की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबंधन में भाग लेता है और सहमति के अनुपात में अपने मुनाफे और नुकसान को साझा करता है। दूसरे शब्दों मे सभी साझेदारों को सक्रिय माना जाता है। हालांकि, कुछ मामले में ऐसे साझेदार भी होते हैं जो अपनी सीमित भूमिका निभाते हैं। वे भले ही पूंजीगत रूप से योगदान करते हैं पर ऐसे साझेदार को सक्रिय साझेदार नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्म को अपना नाम तो दे सकते हैं पर पूंजी में उनका कोई योगदान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति केवल नाम के साझेदार होते हैं। इस प्रकार साझेदारी के विस्तार, लाभ के बंटवारे और देयत्ता के आधार पर साझेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। इन्हें सार रूप में नीचे दिया है-

(क) फर्म भागीदारों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में भागीदारी की सीमा के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

(अ) 'सक्रिय साझेदार': जो भागीदार व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उन्हें सक्रिय साझेदार या कर्मशील साझेदार के रूप में जाना जाता है।

(ब) सुप्त साझेदार : उन साझेदारों को जो व्यवसाय की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग नहीं लेते उन्हें निष्क्रिय साझेदारों के रूप में जाना जाता है। ऐसे साझेदार बस पूंजी का योगदान करते हैं तथा होने वाले लाभ और हानि को साझा करते हैं।

(ख) लाभ में हिस्सेदारी : के आधार पर साझेदारों को वर्गीकृत किया जा सकता है:

(अ) नाममात्र के साझेदार : नाममात्र के जो साझेदार होते हैं वह अपने साथियों को फर्म में अपने नाम के प्रयोग की अनुमति देते हैं। वे न तो कोई पूंजी निवेश करते हैं और न ही दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेते हैं। वे फर्म के लाभ को साझा करने के भी हकदार नहीं है। हालांकि वे फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(ब) लाभ में साझेदार : वह व्यक्ति जो हानि के लिए उत्तरदायी होने के बिना व्यवसाय के लाभ को साझा करता है उसे लाभ में साझेदार के रूप में जाना जाता है। यह केवल उन अवयस्कों पर ही लागू होता है जो फर्म में लाभ की शर्त पर साझेदार बनते हैं। उनकी देयता उनके पूंजी योगदान तक सीमित रहती है।

(ग) देयता के आधार पर : साझेदारों को वर्गीकृत किया जा सकता है-

(अ) सीमित साझेदार : सीमित साझेदारों की देयता उनके पूंजी योगदान की सीमा तक सीमित है। इस प्रकार के साझेदार कुछ यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित साझेदार में पाए जाते हैं।

(ब) सामान्य साझेदार : ऐसे साझेदार जिनका दायित्व असीमित होता है को 'सामान्य साझेदार' या असीमित दायित्व वाले साझेदार कहा जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक साझेदार जो सीमित साझेदार नहीं है उसे एक सामान्य साझेदार के रूप में जाना जाता है।

(घ) व्यवहार और आचरण के आधार पर : ऊपर चर्चा के अलावा दो और प्रकार के साझेदार हैं।

(अ) विबंधित साझेदार : एक व्यक्ति जो जनता के बीच अपने व्यवहार के कारण लोकप्रिय होता है और यह दिखाता है कि वह फर्म का साझेदार है उसे विबंधित साझेदार कहा जाता है। ऐसे साझेदार फर्म के लाभ को साझा करने के हकदार नहीं होते अपितु उनके किसी झूठे कथन या प्रदर्शन द्वारा फर्म को हुई हानि के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

(ब) व्यवहार द्वारा साझेदार : जैसे कोई साझेदार उस व्यक्ति की साझेदारी की घोषणा तो करता है पर वह विशेष व्यक्ति इस पर अपनी सहमति घोषित नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार द्वारा साझेदार कहलाना है। ऐस भागीदार लाभ के हकदार नहीं होते लेकिन फर्म के ऋण के लिए पूर्णत: उत्तरदायी होते हैं।

(ङ) साझेदारी के प्रकार : साझेदारी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

(1.) साधारण और सीमित भागीदारी : साधारण साझेदारों में, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि सीमित साझेदारी में दो प्रकार के भागीदार होते हैं। साधारण साझेदार और विशेष साझेदार। साधारण साझेदार की देयता असीमित है जबकि एक विशेष भागीदार की देयता सीमित है। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साधारण साझेदार का होना आवश्यक है।

(2.) ऐच्छिक साझेदारी एवं विशेष साझेदारी : ऐच्छिक साझेदारी का गठन व्यवसाय को अनिश्चित अवधि तक चलाने के लिए किया जाता है जबकि विशेष साझेदारी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात इसका समापन हो जाता है।

(3.) कानूनी एवं गैर कानूनी सझोदारी: हालांकि साझेदारी को अस्तित्व में लाने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होगा। जो साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार काम करते हैं, उन्हें कानूनी माना जाता है और जो ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उन्हें गैर कानूनी साझेदारी कहा जाता है।

गोपाल का मित्र राहुल उसकी दुकान पर आकर घंटों साथ बैठता है। गोपाल की अनुपस्थिति में वह ग्राहकों को सामान देता है और आपूर्तिकर्ताओं से भी लेन-देन की बात करता है। यह मानकर कि राहुल गोपाल का साझेदार है (जबकि वह साझेदार नहीं है), एक आपूर्तिकर्ता ने राहुल के साथ एक सौदा तय किया, परंतु वह गोपाल को मंजूर नहीं था। इससे आपूर्तिकर्ता को घाटा उठाना पड़ा। क्या वह घाटे के लिए राहुल पर दावा कर सकता है? राहुल किस प्रकार का साझेदार है?

4.4.5 साझेदारी फर्म की उपयुक्तता

हमने यह पहले ही ये जान लिया है कि अलग-अलग योग्यता, कौशल और अनुभव वाले व्यक्ति व्यवसाय को लाभ के लिए एक साझेदारी फर्म बना सकते हैं। साझेदारी में निर्माण संबंधी, कानूनी सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं जैसे व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। मध्यम स्तर पर पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए साझेदारी, उपयुक्त है। इस प्रकार के व्यवसाय जैसे थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं, व्यापारिक केन्द्र, लघु उद्योग आदि भी साझेदारी फर्म के अंतर्गत सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। समझौते को लिखित में होना चाहिए। सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, केवल नाबालिक को छोड़कर जिसे साझेदारी में केवल लाभ का भागीदार बनाया गया है और वह कर का लाभ उठा सकता है।

साझेदारी संलेख : जिसे कि साझेदारी समझौता भी कहते हैं एक लिखित विलेख है जोकि एक व्यावसायिक उपक्रम के सभी साझेदारों के अधिकार और उत्तरदायित्व की विस्तार में व्याख्या करता है। व्यवसाय को चलाने, लाभ को बांटने तथा हानि को वहन करने के लिए साझेदारों के बीच एक समझौता होना चाहिए।

(i) फर्म का नाम

(ii) व्यवसाय की प्रकृति

(iii) साझेदारों के नाम और पता

(iv) व्यवसाय का स्थान

(v) यदि तय हो तो साझेदारी की समय सीमा

(vi) प्रत्येक साझेदार द्वारा योगदान में दी जाने वाली राशि

(vii) वह अनुपात जिसमें साझेदारों के बीच लाभ और हानि को साझा किया जाना है।

(viii) साझेदारों के कर्त्तव्य एवं अधिकार

(ix) साझेदारों को पारिश्रमिक एवं साझेदारों द्वारा नकदी की निकासी की राशि एवं समय

(x) पूंजी पर ब्याज देना और आहरणों पर प्रभार

(xi) ख्याति का व्यवहार

(xii) खातों की तैयारी और उनका अंकेक्षण

(xiii) फर्म के विघटन का तरीका

(xiv) विवादों के निपटारे की प्रक्रिया

(xv) मध्यस्थता वाक्य

4.4.6 एक समझौते के अभाव में लागू नियम (साझेदारी संलेख)

अक्सर आप देखते हैं कि बहुत अच्छे सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक भिन्न आपसी सम्बन्ध के आधार पर स्वेच्छा से किसी भी लिखित समझौते के बिना व्यवसाय चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। कई वर्षों के बाद जब व्यापार में अधिक लाभ या हानि की स्थिति बनती है तो हिस्सेदारी के बारे में विवाद होता है और इस विवाद का संबंधों पर प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप फर्म का विघटन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी लिखित समझौते के अभाव में आप विवाद को निपटाने के लिए क्या करेंगे? तब आपको साझेदारी संलेख के अभव में विवाद को निपटाने के लिए जो नियम एवं प्रावधान बने हैं उनके विषय में पता होना चाहिए और ये निम्नव हैं:

(क) फर्म से होने वाल लाभ या हानि को सभी साझेदारों में समान रूप से साझा किया जाएगा।

(ख) पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा (यदि सहमति हो तो ब्याज केवल फर्म के उपलब्ध लाभ से दिया जाएगा। यदि हानि की स्थिति बनती है किसी भी ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

(ग) साझेदारों द्वारा लिए गए आहरणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(घ) फर्म को दिए गए ऋण पर साझेदारों को 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

(ङ) किसी भी साझेदार को कोई भी पारिश्रमिक का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

(च) प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेना चाहिए।

इसलिए, साझेदार को अपनी फर्म को सम्बन्धित राज्य का फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवाना चाहिए। हालांकि, पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन गैर-पंजीकरण के परिणामों से बचने के लिए कर से लाभान्वित होने के लिए, जब भी इसको स्थापित किया जाए उस समय इसे पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है।

किसी भी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है-

(क) फर्म को निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित राज्य के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होगा।

(ख) विधिवत भरे गए इस प्रारूप पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ग) निर्धारित पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन को फर्म के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ) रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी यदि वह आवेदन में भरी गई जानकारी से संतुष्ट है और पंजीकरण से सम्बन्धित सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया है, तो वह अपने रजिस्ट्र में फर्म का नाम डाल देगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

पाठगत प्रश्न-4.2

1. एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत अवयस्कों की स्थिति बताइये

2. व्यावसायिक संगठन की साझेदारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन लिखे गए हैं। गलत पाए जाने वाले कथन को सही रूप में लिखें-

   (क) अधिकतम 20 साझेदार बैंकिंग व्यवसाय चलाने वाली एक साझेदारी फर्म में शामिल हो सकते हैं।

   (ख) साझेदारी विलेख मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है।

   (ग) साझेदारों के मध्य नियोक्ता-कर्मचारी के सम्बन्ध होते हैं

   (घ) एक साझेदारी फर्म में हरी एवं मधु प्रत्येक ने रु. 10,000 का योगदान दिया, इसमें मधु की देयता फर्म के कारोबार में नुकसान के मामले में रु.10,000 तक सीमित रहेगी।

   (ङ) एक व्यक्ति ने वर्तमान साझेदारों से संबंधों के आधार पर साझेदारी फर्म में लाभ अर्जित किया।

3. निम्नलिखित में साझेदारों के प्रकार की पहचान करें-

   (क) 25 वर्षीय साझेदार श्रीधर का दायित्व उसके पूंजी योगदान की सीमा तक सीमित है।

   (ख) मदन ने न तो किसी भी पूंजी का योगदान दिया है और न ही वह फर्म के लाभ में हिस्सा लेता है। फिर भी वह साझेदार के रूप में जाना जाता है।

   (ग) सुनीता को 15 साल की उम्र में फर्म से लाभान्वित होने के लिए भर्ती किया गया है।

   (घ) सुधीर ऐसा साझेदार है जिसने फर्म को पूंजी देने में योगदान दिया था और फर्म से होने वाली हानि एवं लाभ का भी साझेदार है परंतु वह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है।

   (ङ) एक फर्म ने यह घोषणा की कि सचिन उनकी फर्म का साझेदार है। यह घोषणा जानने के बाद भी सचिन ने इसे अस्वीकार नहीं किया।

गोपाल अब साझेदारी के रूप में रहीम के साथ साझेदारी व्यवसाय चला रहा है। वे दोनों अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने व्यवसाय को भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। गोपाल के पिता भी उसी इलाके में एक थोक व्यवसाय चलाते हैं। यह व्यवसाय पहले गोपाल के दादा द्वारा चलाया जा रहा था। एक दिन गोपाल के पिता ने खुलासा किया कि गोपाल और उसके छोटे भाई और बहन का उसके थोक कारोबार में बराबर हिस्सा है। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है और गोपाल इस पारिवारिक व्यवसाय में अपनी स्थिति को खोय बिना अपनी साझेदारी का व्यवसाय जारी रख सकता है। गोपाल भ्रमित था। उसके पिता ने उसे समझाया कि हिन्दू कानून के तहत यह एक संयुक्त हिन्दू पारिवारिक व्यवसाय है। आइये इस संयुक्त हिन्दू परिवार व्यावसायिक संगठन के विषय में विस्तार से जानते हैं-

4.5 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय

एकल स्वामित्व तथा साझेदारी व्यवसायों के विषय में जानने के बाद, आइये अब हम व्यापार संगठन के विचित्र रूप के विषय में चर्चा करते हैं जो केवल भारत में ही प्रचलित है और वह भी केवल हिन्दुओं के बीच में। 'संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय', एक प्रकार की ऐसी व्यावसायिक इकाई है जो संयुक्त या अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा चलायी जाती है। परिवार की तीन पीढ़ियों के सदस्य इस व्यवसाय में सदस्य होते हैं। परिवार के मुखिया को कर्त्ता के रूप में जाना जाता है जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है। अन्य सदस्य सह-समांशी कहलाते हैं और उन सभी का व्यवसाय पर समान अधिकार होता है। यहां, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत रूप से किसी भी सदस्य द्वारा कोई आय अर्जित की जाती है तो ऐसी आय संयुक्त हिन्दू परिवार की आय के रूप में नहीं गिनी जाएगी क्योंकि यह उसके व्यक्तिगत कौशल के कारण है। एक ही परिवार में जन्म के आधार पर संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्यता प्राप्त होती है। अव्यस्कों के व्यवसाय के सदस्य बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

4.5.1 व्यावसायिक संगठन के संयुक्त हिन्दू परिवार की विशेषताएं

उपरोक्त चर्चा से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय में कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं:

(क) गठन : संयुक्त हिन्दू परिवार में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए और परिवार के पास कुछ पैतृक संपत्ति भी होनी चाहिए। यह एक समझौते के द्वारा नहीं बनाई जाती है। इसकी स्थापना के लिए कोई कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें निहित कर रियायतों का लाभ उठाने के लिए आयकर विभाग के पास पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) वैधानिक स्थिति : संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला व्यवसाय है। यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित है।

(ग) सदस्यता : संयुक्त हिन्दू परिवार में बाहरी लोग सह-समांशी नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत अविभाजित परिवार में केवल वही सदस्य सह-समांशी हो सकते हैं जिनका जन्म उस परिवार में हुआ है।

(घ) लाभ विभाजन : सभी सह-समांशियों का व्यवसाय में बराबर का हिस्सा होता है।

(ङ) प्रबंधन : व्यवसाय का प्रबंधन, कर्त्ता के रूप में जाना जाने वाले, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है। अन्य सदस्यों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कर्त्ता को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय का प्रबंधन करने का अधिकार है और उसके प्रबंधन के तरीकों पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। सह-समांशी संतुष्ट नहीं है तो एकमात्र उपाय है संयुक्त हिन्दू परिवार का आपसी समझौते द्वारा विघटन करना।

(च) दायितव : सह-सामंशियों का दायित्व व्यवसाय में उनके हिस्से तक ही सीमित है। लेकिन जो कर्ता है उसके दायित्व असीमित हैं। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक दायित्व को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है।

(छ) निरंतरता : किसी भी सह-समांशी की मृत्यु से व्यवसाय की निरंतरता प्रभावित नहीं होती। यदि कभी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में घर का बड़ा सदस्य कर्ता की जिम्मेदारी संभाल लेता है। इससे व्यवसाय प्रभावित नहीं होता है। हालांकि आपसी समझौते के द्वारा न्यायालय के माध्यम से संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का विघटन किया जा सकता है।

4.5.2 व्यावसायिक संगठन के रूप में संयुक्त हिन्दू परिवार के गुण

चूंकि संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय की कुछ विशेष विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। आइये अब हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं-

(क) निश्चित लाभांश : व्यवसाय के संचालन में उनकी भागीदारी की चिन्त किए बिना प्रत्येक सह-समांशी समान हिस्सेदारी के प्रति आश्वस्त रहता है। यह आश्वासन बीमार अवयस्क, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग सदस्यों के हितों की रक्षा करता है।

(ख) शीघ्र निर्णय : इसका कर्ता व्यवसाय के प्रबंधन में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेता है यह उसे बिना किसी के हस्तक्षेप के निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

(ग) ज्ञान एवं अनुभव को बांटना : संयुक्त हिन्दू परिवार अन्य युवा सदस्यों को ज्ञान एवं अनुभव का अवसर प्रदान करता है। यह अनुशासन, त्याग, सहनशीलता आदि जैसे गुणों को जन्म देता है।

(घ) सदस्यों का सीमित दायित्व : कर्ता को छोड़कर बाकी सह-समांशियों का दायित्व अपने हिस्से की सीमा तक सीमित होता है। यह बाकी सदस्यों को कर्ता द्वारा निर्देश

या मार्गदर्शन देकर व्यापार को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम बनाता है।

(ङ) **कर्ता का असीमित दायित्व :** कर्ता के असीमित दायित्व के कारण, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति दाव पर लगी रहती है यही शर्त कर्ता को व्यवसाय को बड़ी सावधानी और बुद्धिमानी से चलाने के लिए बाध्य करती है।

(च) **अस्तित्व की निरंतरता :** किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन से व्यवसाय की निरंतरता प्रभावित नहीं होती है। इसलिए यह दीर्घकाल तक चलता है।

(छ) **कर में लाभ :** संयुक्त परिवार व्यवसाय को कर के उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र करदाता माना जाता है। सह-समांशियों की हिस्सेदारी को कर के उद्देश्यों के लिए उनकी व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं किया जाता है। गुणों को जानने के बाद आइये हम अब संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यापारिक संगठन की सीमाओं को भी जानें।

4.5.3 व्यावसायिक संगठन के रूप में संयुक्त हिन्दू परिवार की सीमाएं

(क) **सीमित साधन :** संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यावसायिक व प्रबंधकीय साधन सीमित होते हैं। इसलिए बड़े व्यवसाय के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है।

(ख) **प्रेरणा की कमी :** सभी सह-समांशियों को उनकी रुचि में उनकी भागीदारी को ध्यान में रखे बिना व्यापार के लाभ में समान हिस्सेदारी मिलती है। इसलिए अधिकांशत: वे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं।

(ग) **शक्ति के दुरुपयोग की संभावना :** चूंकि कर्ता को व्यवसाय का प्रबंधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है इसलिए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसके दुरुपयोग की गुंजाइश रहती है। इसके अतिरिक्त उसकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं।

(घ) **अस्थिरता :** संयुक्त हिन्दू परिवार की स्थिरता हमेशा खतरे में रहती है। परिवार के बीच एक छोटी-सी दरार भी विभाजन का कारण बन सकती है।

4.5.4 व्यावसायिक संगठन के रूप में संयुक्त हिन्दू परिवार की उपयुक्तता

व्यवसाय संगठन के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार का रूप उपयुक्त है। जिस परिवार में कोई व्यवसाय विशेष कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है और परिवार के सदस्य आगे भी उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं। यहां तक कि व्यापार संगठन के इस रूप को एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त माना जाता है जिसके लिए सीमित वित्तिय और प्रबंधकीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और संचालन के लिए यह एक बहुत सीमित क्षेत्र होता है। अक्सर देखा जाता है कि संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय सामान्यत: व्यापारिक व्यवसाय देशी बैंकिंग, लघु उद्योग और शिल्प जैसे व्यवसायियों के लिए उपयुक्त है।

पाठगत प्रश्न-4.5

1. एक कर्ता का दायित्व असीमित क्यों होना चाहिए? संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय के सदस्यों का दायित्व बताइए।
2. नीचे लिऐ कथनों में संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के गुण और सीमाएं छांटिए। उनके सामने दी गई जगह में गुण के लिए 'ग' तथा सीमा के लिए 'स' भरिए:
   (क) परिवार के युवा सदस्य अन्य वरिष्ठ सदस्यों से ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करते हैं?
   (ख) किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन उस व्यवसाय की निरंतरता को प्रभावित नहीं करते
   (ग) परिवार के सह-समांशी अपने श्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रेरित नहीं होते हैं।
   (घ) सदस्यों को उनकी भागीदारी को ध्यान में रखे बिना समान लाभ मिलता है।
   (ङ) मुखिया बिना किसी हस्तक्षेप के तुरंत निर्णय लेता है।
3. सदस्यता के आधार पर साझेदारी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के बीच अंतर बताइए?

4.6 सहकारी समिति

आपने व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों में एकल स्वामित्व और साझेदारी के बारे में सीखा है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि उनके गठन, संचालन, पूंजी योगदान एवं दायित्वों में विभिन्न असमानताएं होने के साथ-साथ दोनों में एक समानता यह है कि दोनों लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में लगे हुए हैं हालांकि, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो समाज में सदस्यों को सेवा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ व्यावसायिक गतिविधियां करते हैं। हालांकि वे कुछ लाभ भी कमा रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के सामान्य हितों की सुरक्षा करना है। वे एकत्रित संसाधनों को सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करते हैं और होने वाले लाभ को बांट देते हैं। इन संगठनों को सहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है। आइये इस व्यावसायिक संगठन की विस्तार से चर्चा करें। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 4 सहकारी समिति को ''एक समिति के रूप में परिभाषित करती है। सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना ही जिसका उद्देश्य होता है।''

यह शब्द कॉर्पोरेशन लैटिन शब्द 'को-ऑपरेरी' से लिया गया है, जहां 'को' शब्द का अर्थ है 'साथ' और 'ऑपरेरी' का अर्थ है 'काम करना'। इस प्रकार कॉर्पोरेशन शब्द का अर्थ है 'एक साथ काम करना'। तो जो लोग कुछ सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जिसे 'सहकारी समिति' कहा जाता है।

यह उन व्यक्तियों की स्वैच्छिक संस्था है जो अपने आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह आपसी मदद तथा स्वयं सहायता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत लोग अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ एक समूह के रूप में आगे आते हैं उन सभी संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करते हैं और इससे सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं।

4.6.1 सहकारी समिति की विशेषताएं

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम सहकारी संगठन के निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं:

(क) **स्वैच्छिक संस्था** : सहकारी समिति के सदस्य स्वेच्छा अर्थात् अपनी इच्छा से इसमें शामिल होते हैं। सामान्य आर्थिक उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति जब चाहें तब इसमें शामिल हो सकते हैं, वे जब तक चाहें इसे जारी रख सकते हैं और जब चाहें इसके साथ अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं।

(ख) **मुफ्त सदस्यता** : इसकी सदस्यता सभी के लिए खुली है जो एक सामान्य आर्थिक हित में कार्य करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, पंथ, धर्म, रंग लिंग आदि के भेद के बिना इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

(ग) **सदस्यों की संख्या** : सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम दस सदस्यों की आवश्यकता होती है। यदि विविध राज्यों के लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य से न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। सहकारी समिति अधिनियम में सदस्यों की अधिकतम संख्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि समिति की स्थापना के बाद परस्पर स्वीकृति से सदस्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(घ) **समिति का पंजीकरण** : भारत में सहकारी समितियों को सहकारी समितियों के अधिनियम 1912 के अंतर्गत या राज्य सहकारी समितियों के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। बहु राज्य सहकारी समितियां का पंजीकरण बहु राज्यीय सहकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया जाता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद समिति एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है। जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। वे विशेषताएं निम्नलिखित हैं-:

(i) समिति को चिर स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

(ii) इसकी अपनी सामान्य मुहर होती है।

(iii) यह दूसरों के साथ अनुबंध कर सकती है।

(iv) यह न्यायालय में दूसरों पर मुकद्दमा कर सकती है।

टिप्पणी

(v) यह अपने नाम पर अपनी सम्पत्ति रख सकती है।

(ङ) राज्य नियंत्रण : चूंकि सहकारी समीतियों का पंजीकरण अनिवार्य है इसलिए प्रत्येक सहकारी समिति सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आती है। सहकारी विभाग समिति के कामकाज पर नजर रखता है। प्रत्येक समिति को सरकार के सहकारी विभाग से अपने खातों का लेखा-परीक्षण कराना होता है।

(च) पूंजी : सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा पूंजी का योगदान दिया जाता है। चूंकि सदस्यों का योगदान बहुत सीमित होता है इसलिए यह सरकार व शीर्ष सहकारी संस्थाओं से प्राप्त ऋण और राज्य या केन्द्र सरकार से स्वीकृत अनुदान व आर्थिक सहायता पर भी निर्भर होती हैं।

(छ) लोकतांत्रिक स्थापना : सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को समिति के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि, समिति अपने प्रभावी प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन समिति का चुनाव करता है। प्रबंधन समिति के सदस्य किसी भी सदस्य के अंशों की संख्या अधिक होने के बावजूद एक व्यक्ति एक-वोट के आधार पर चुने जाते हैं।

(ज) सेवा का उद्देश्य : सभी सहकारी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना है।

(झ) पूंजी निवेश पर प्रतिफल : सदस्य लाभांश के रूप में अपने पूंजी निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करती है।

(ञ) अधिशेष का वितरण : समिति के सदस्यों को सीमित लाभांश देने के बाद बची धनराशि को समिति के कल्याण के लिए रखा जाता है। यदि फिर भी कुछ धनराशि शेष रहती है तो अधिशेष को सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है।

4.6.2 सहकारी समितियों के प्रकार

आप जानते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संगठन स्थापित किए जाते हैं। इसलिए लोगों की आवश्यकतानुसार हम भारत में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रकार नीचे दिए गए हैं-

(क) उपभोक्ता सहकारी समितियां : इस समिति का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, जिससे उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान की जा सकें।

(ख) उत्पादक सहकारी समितियां : इन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों और दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, जिससे वे अपने जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध करा सकें जैसे- कच्चा माल, औजार और साजो सामान।

(ग) **विपणन सहकारी समितियां :** उत्पाद के विपणन की समस्या को हल करने के लिए छोटे-छोटे उत्पादक मिल कर विपणन सहकारी समिति बना लेते हैं।

(घ) **आवासीय सहकारी समितियां :** सदस्यों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राय: शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(ङ) **कृषि सहकारी समितियां :** ये समिति छोटे किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं।

(च) **ऋण सहकारी समितियां :** इन समितियों को उन व्यक्तियों द्वारा शुरू किया जाता है जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। ये समितियों सदस्यों से पूंजी जमा एकत्रित करती हैं और उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्रदान करती हैं।

4.6.3 सहकारी समिति के गुण

सहकारी समिति व्यवसाय संगठन का एकमात्र ऐसा प्रारूप है लाभ को अधिकतम करने के बजाए अपने सदस्यों को अधिक महत्व देता है। इसकी विशेषताओं और विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने के बाद, हम व्यावसायिक संगठन के इस रूप के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं।

(क) **बनाने में आसान :** कोई भी 10 वयस्क सदस्य स्वेच्छा से एक संघ बना सकते हैं जो इसे सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत भी करवा सकता है। यह पंजीकरण अत्यंत सरल होता है इसमें बहुत अधिक कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) **सीमित दायित्व :** सहकारी समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके पूंजी योगदान तक सीमित होता है। वे समित के ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं।

(ग) **खुली सदस्यता :** किसी भी प्रकार का सक्षम व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जब चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। इसमें जाति, सम्प्रदाय, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें प्रवेश एवं निकास दोनों का समय आमतौर पर खुला होता है।

(घ) **राज्य की सहायता :** किसी भी देश के विकास के लिए वहां के कमजोर वर्ग का आर्थिक विकास करना आवश्यक है। इसलिए सहकारी समितियों को हमेशा ऋण, अनुदान सब्सिडी आदि के रूप में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से सहायता मिलती है।

(ङ) **स्थिरता :** सहकारी समिति को चिर स्थायी जीवन (Perpetual succession) का लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत किसी भी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र के दिवालिया आदि का समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका अपना वैधानिक अस्तित्व होता है।

टिप्पणी

(च) कर में छूट : लोगों को सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सरकार इनके करों में छूट प्रदान करती है जो समय-समय पर बदलती रहती है।

(छ) लोकतांत्रिक प्रबंधन : सहकारी समितियों का प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है, जिसे सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ये सदस्य कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही अपने नियम और कानून तय करते हैं।

4.6.4 सहकारी समिति की सीमाएं

यद्यपि एक सहकारी समिति बनाने का मूल्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आपसी मदद एवं सहयोग की एक प्रणाली को विकसित करना है फिर भी यह भावना लंबे समय तक नहीं रहती है। सहकारी समितियों को सामान्यत: निम्न सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

(क) सीमित पूंजी : अधिकांश सहकारी समितियां पूंजी को कमी के कारण समस्याग्रस्त है। चूंकि समिति के सदस्य एक सीमित क्षेत्र या वर्ग से आते हैं और उनके पास साधन सीमित होते हैं इसलिए उनसे पूंजी का अधिक मात्रा में संग्रह करना संभव नहीं होता। फिर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है।

(ख) प्रबंधकीय विशेषज्ञता की कमी : प्रबंधकीय विशेषज्ञता की कमी के कारण सहकारी समिति की प्रबंधन समिति हमेशा प्रभावी और कुशल तरीके से समाज का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होती है। फिर धन की कमी के कारण वे पेशेवर प्रबंधन के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते।

(ग) प्रेरणा की कमी : चूंकि निवेश पर ब्याज की दर कम होती है इसलिए सदस्य समिति के अन्य मामलों में सहयोग नहीं देते हैं।

(घ) दिलचस्पी में कमी : एक बार जब व्यवसाय शुरू करने और चलाने के उत्साह की पहली लहर मन से समाप्त हो जाती है तो सदस्यों के मुख्य साजिश और गुटबाजी पैदा हो जाती है जिससे समिति बेजान और निष्क्रिय हो जाती है।

(ङ) भ्रष्टाचार : सरकार के नियमों और समय-समय पर लेखा-परीक्षणों के बावजूद समिति के प्रबंध में भ्रष्टाचार को नकारा नहीं जा सकता।

4.6.5 सहकारी समिति उपयुक्तता

आपने पहले ही जान लिया है कि व्यावसायिक संगठन का सहकारी समाज रूप उन व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय शुरू करने और चलाने में भी ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए सामान्य समस्या को हल करने के लिए या सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय संगठन का यह रूप सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार, लोग उपभोक्ता उत्पादों को प्राप्त करने के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लिए, उत्पादों के विपणन के लिए, ऋण और

अग्रिम राशि देने के लिए इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार का व्यावसायिक संगठन सामान्यत: छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को चलाने के लिए उपयुक्त है।

पाठगत प्रश्न-4.6

1. 'सहकारी समिति' को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए।

2. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए:

   (क) 'सहकारी समिति' का प्रबंधन कौन करता है?

   (ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति को प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?

   (ग) लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता को हल करने के लिए किस प्रकार के सहकारी समिति का गठन किया जाता है?

   (घ) सहकारी समिति के पंजीयन के लिए किसे आवेदन किया जाना चाहिए?

   (ङ) एक सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है?

3. निम्नलिखित को मिलान करें-

कॉलम (अ)	**कॉलम (ब)**
(क) पंजीकरण	(i) समिति
(ख) सदस्यता	(ii) प्रबंधन
(ग) पूंजी पर लाभ	(iii) सबके लिए खुला
(घ) लोकतांत्रिक	(iv) अनिवार्य
(ङ) दायित्व	(vi) लाभांश

पाठान्त प्रश्न

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. एकल स्वामित्व को परिभाषित करें।

2. किसी भी ऐसी दो स्थिति को सूचीबद्ध करें जिसमें व्यवसाय संगठन में एकल स्वामित्व सबसे उपयुक्त व्यवसाय है।

3. विबंधित साझेदार किसे कहते हैं?

4. सदस्यता के आधार पर साझेदारी एवं एकल स्वामित्व व्यवसाय के बीच अंतर करें-

5. 'सह-समांशी' शब्द का अर्थ बताइये?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन की उपयुक्तता के बारे में बताइये।

2. व्यापार संगठन की साझेदारी के रूप की किसी भी दो सीमाओं की व्याख्या करें।

3. साझेदारी विलेख से क्या तात्पर्य है? क्या यह साझेदारी के लिए आवश्यक है?

4. एक संयुक्त हिन्दू पारिवारिक व्यवसाय में तथा साझेदारी फर्म में एक अवयस्क सदस्य की तुलना करें।

5. पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद सहकारी समिति की किसी भी चार विशेषताओं का उल्लेख करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. किसी भी चार विभिन्न प्रकार के साझेदारों का वर्णन करें।

2. एक संयुक्त हिन्दू पारिवारिक व्यवसाय क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइये।

3. व्यवसायिक संगठन के संयुक्त हिन्दू परिवार के विभिन्न गुणों की व्याख्या करें

4. भारतीय सहकारी समितियों अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी समिति की परिभाषा दीजिए।

5. संगठन के सहकारी समिति स्वरूप की कोई दो विशेषताएं बताइए।

6. भारत में मौजूदा विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के बारे में बताइए।

7. एक कहावत है कि लिखित समझौता करना हमेशा बेहतर होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए साझेदारों को सदैव लिखित समझौता करने की सलाह दी जाती है। इस समझौते का नाम क्या है तथा सामान्यत: इसकी विषय सामग्री क्या होती है?

8. आपने व्यापारिक संगठनों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया है। यदि आपको वर्तमान परिदृश्य में व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्राप्त हो तो आप व्यवसाय संगठन के किस स्वरूप को चुनेंगे तथा क्यों? मान्य बिन्दुओ के साथ अपने विचार व्यक्त करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

2. (क) ग

   (ख) स

   (ग) स

   (घ) ग

   (ङ) ग

3. (क) iv

   (ख) i

   (ग) v

   (घ) iii

   (ङ) ii

4.2

1. एक अवयस्क साझेदार केवल व्यवसाय के लाभ को साझा कर सकता है।

2. (क) अधिकतम 10 सदस्य साझेदारी के रूप में बैंकिंग व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं

   (ख) साझेदारी विलेख हमेशा लिखित रूप में होता है।

   (ग) साझेदारों के बीच एक प्रधान एवं प्रत्येक एजेंटों का सम्बन्ध है।

   (घ) एक साझेदारी में हरि एवं मधु ने 10,000 रु. का योगदान दिया, मधु की देयता फर्म के व्यापार में नुकसान के मामले में असीमित होगी।

   (ङ) साझेदारी व्यवसाय में एक समझौते द्वारा ही कोई व्यक्ति अपना हित अर्जित कर सकता है।

3. (क) सीमित साझेदार

   (ख) नाममात्र का साझेदार

   (ग) लाभ के साझेदार या अवयस्क साझेदार

टिप्पणी

(घ) निष्क्रिय साझेदार/सुप्त साझेदार

(ङ) प्रदर्शन द्वारा साझेदार

4.3

1. चूंकि एक मुखिया या कर्ता के पास अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय का प्रबंधन करने की पूर्ण शक्ति है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है।

   असीमित दायित्व कर्ता को व्यवसाय को हानि पहुंचाने से टोकता है।

2. (क) ग

   (ख) ग

   (ग) स

   (घ) ग

   (ङ) ग

3. (क) दोनों मामलों में न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है।

   (ख) साझेदारी के मामले में बैंकिंग के लिए अधिकतम 10 और अन्य व्यवसाय के लिए 50 सदस्य होने चाहिए। संयुक्त परिवार व्यवसाय के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

   (ग) साझेदारी के व्यवसाय में समझौते से सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में सदस्य बनने के लिए एक ही परिवार में जन्म होना आवश्यक है।

4.4

1. (क) प्रबंधन समिति

   (ख) 50 (व्यक्तिगत सदस्य)

   (ग) सहकारी समिति

   (घ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

   (ङ) अधिकतम सीमा अधिनियम द्वारा तय नहीं है। यदि सदस्य चाहें तो समिति के सदस्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

3. (क) iv

(ख) iii

(ग) v

(घ) ii

(ङ) i

करें और सीखें

1. अपने क्षेत्र के आस-पास 20 व्यावसायिक संगठनों का एक सर्वेक्षण करें। इस पाठ में आपके द्वारा सीखी गई चार श्रेणियों के अंतर्गत उन्हें वर्गीकृत करें। इसमें उनके व्यापार की पकृति, व्यवसाय का आकार, स्वामियों की संख्या आदि का सारणीबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।
2. उपरोक्त चर्चा के साथ-साथ व्यावसायिक संगठ के सहकारी समिति रूप के बारे में अपनी समझ के आधार पर, अब आप निम्न तालिका को भरने का प्रयास कर सकते हैं।

सहकारी समिति के प्रकार	समिति कौन स्थापित करता है।	समिति का उद्देश्य	समिति की कार्य
1. उपभोक्ता सहकारी समितियां			
2. उत्पादक सहकारी समितियां			
3. विपणन सहकारी समितियां			
4. आवासीय सहकारी समितियां			
5. कृषि सहकारी समितियां			
6. साख सहकारी समितियां			

रोल प्ले

राजेश एक दर्जी की दुकान को सफलतापूर्वक चलाता है। समय के साथ उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। अब वह अपने व्यवसाय का विस्तार करन चाहता है और रेडीमेड कपड़ों की खुदरा दुकान खोलना चाहता है। वह अपने दोस्त कमल को अपने व्यवसाय की साझेदारी के लिए कहना चाहता है। उसकी पत्नी उसे एकल स्वामी के रूप में ही चलाने का सुझाव देती है। राजेश और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत निम्नलिखित है-

राजेश : अपने बढ़ते व्यवसाय के कारण मैं अधिक दबाव महसूस कर रहा हूं इसलिए मैं अपने मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करना चाहता हूं।

पत्नी : मुझे खुशी है कि आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन केवल साझेदारी ही इसका विकल्प नहीं है।

राजेश : तुम्हारी सलाह क्या है? तुम्हें साझेदारी में रुचि क्यों नहीं है?

पत्नी : साझेदारी में प्रवेश करने के बजाय एक प्रबंधक को नियुक्तकरें।

राजेश ने साझेदारी के गुणों और एकल स्वामित्व की सीमाओं के बारे में बात की वहीं राजेश की पत्नी ने कर्मचारियों को काम पर रखने और साझेदारी की सीमाओं का विस्तार करते हुए व्यवसाय के विस्तार पर प्रकाश डाला। राजेश के स्थान पर स्वयं को रखें और पत्नी के स्थान पर एक मित्र को रखकर संवाद को आगे बढ़ाएं।

आपने क्या सीखा

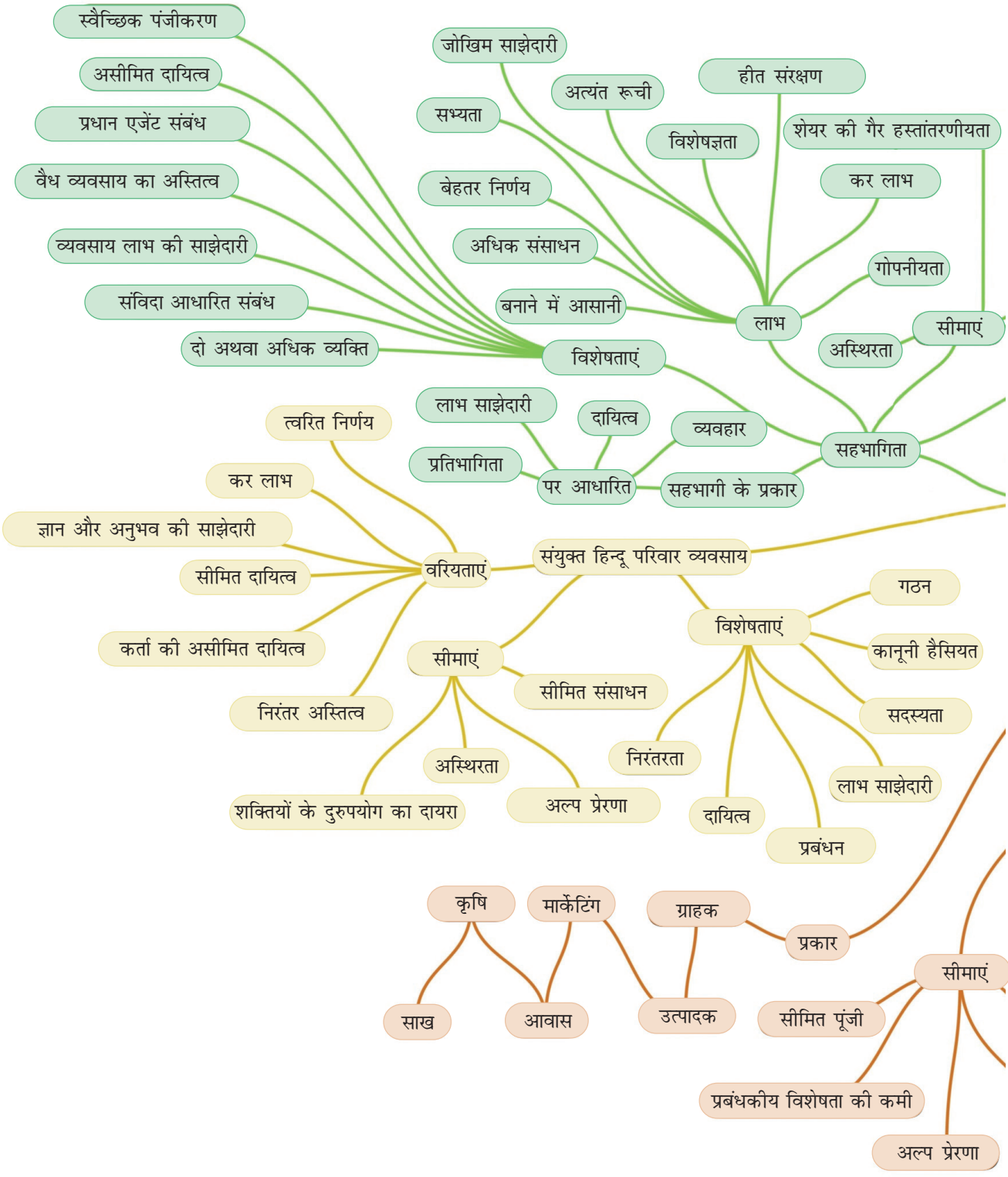

स्वैच्छिक पंजीकरण
असीमित दायित्व
प्रधान एजेंट संबंध
वैध व्यवसाय का अस्तित्व
व्यवसाय लाभ की साझेदारी
संविदा आधारित संबंध
दो अथवा अधिक व्यक्ति
विशेषताएं
जोखिम साझेदारी
अत्यंत रूची
हीत संरक्षण
सभ्यता
विशेषज्ञता
शेयर की गैर हस्तांतरणीयता
बेहतर निर्णय
कर लाभ
अधिक संसाधन
गोपनीयता
बनाने में आसानी
लाभ
सीमाएं
अस्थिरता
लाभ साझेदारी
दायित्व
व्यवहार
प्रतिभागिता
पर आधारित
सहभागी के प्रकार
सहभागिता
त्वरित निर्णय
कर लाभ
ज्ञान और अनुभव की साझेदारी
सीमित दायित्व
वरियताएं
संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय
कर्ता की असीमित दायित्व
निरंतर अस्तित्व
सीमाएं
सीमित संसाधन
अस्थिरता
अल्प प्रेरणा
शक्तियों के दुरुपयोग का दायरा
विशेषताएं
गठन
कानूनी हैसियत
सदस्यता
निरंतरता
लाभ साझेदारी
दायित्व
प्रबंधन
कृषि
मार्केटिंग
ग्राहक
प्रकार
साख
आवास
उत्पादक
सीमाएं
सीमित पूंजी
प्रबंधकीय विशेषता की कमी
अल्प प्रेरणा

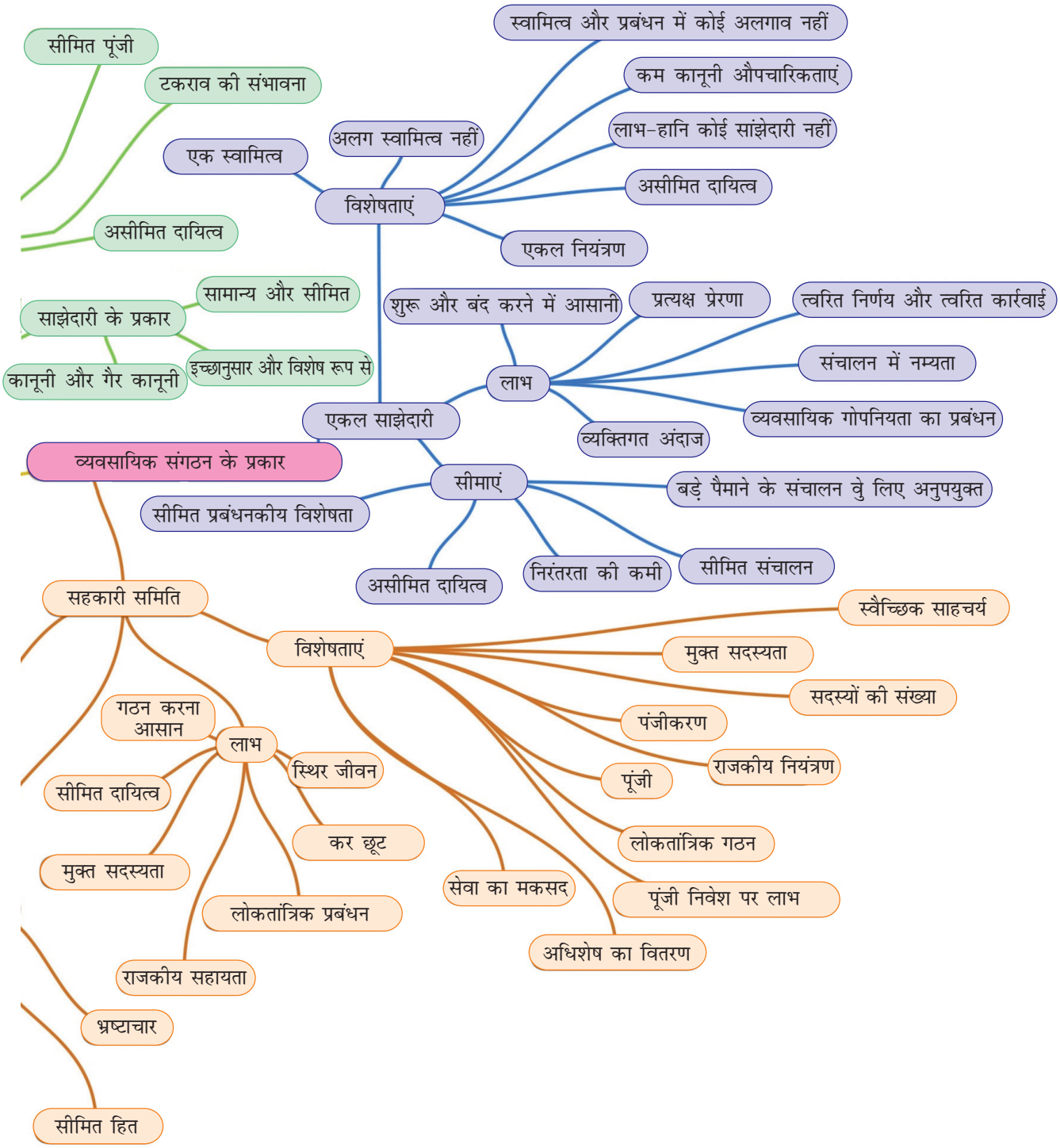
व्यवसायिक संगठन के प्रकार
एक स्वामित्व
विशेषताएं
अलग स्वामित्व नहीं
स्वामित्व और प्रबंधन में कोई अलगाव नहीं
कम कानूनी औपचारिकताएं
लाभ-हानि कोई सांझेदारी नहीं
असीमित दायित्व
एकल नियंत्रण
सीमित पूंजी
टकराव की संभावना
असीमित दायित्व
एकल साझेदारी
साझेदारी के प्रकार
सामान्य और सीमित
इच्छानुसार और विशेष रूप से
कानूनी और गैर कानूनी
शुरू और बंद करने में आसानी
लाभ
प्रत्यक्ष प्रेरणा
त्वरित निर्णय और त्वरित कार्रवाई
संचालन में नम्यता
व्यवसायिक गोपनियता का प्रबंधन
व्यक्तिगत अंदाज
सीमाएं
सीमित प्रबंधनकीय विशेषता
बड़े पैमाने के संचालन वु लिए अनुपयुक्त
सीमित संचालन
निरंतरता की कमी
असीमित दायित्व
सहकारी समिति
विशेषताएं
स्वैच्छिक साहचर्य
मुक्त सदस्यता
सदस्यों की संख्या
पंजीकरण
राजकीय नियंत्रण
पूंजी
लोकतांत्रिक गठन
पूंजी निवेश पर लाभ
अधिशेष का वितरण
सेवा का मकसद
लाभ
गठन करना आसान
स्थिर जीवन
कर छूट
लोकतांत्रिक प्रबंधन
सीमित दायित्व
मुक्त सदस्यता
राजकीय सहायता
भ्रष्टाचार
सीमित हित